न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

श्री ओमप्रकाश पुत्र किशोरीलाल सोनी, निवासी बयानिया पाड़ा, हिण्डौनसिटी

– प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–14.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री ओमप्रकाश पुत्र किशोरीलाल सोनी, निवासी बयानिया पाड़ा, हिण्डौनसिटी जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 जिसके द्वारा श्री सोनी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 12 बोर वी–423490 निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 487/17 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 13.07.2018 को निर्णय पारित करते हुये श्री सोनी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री सोनी को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री सोनी को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री सोनी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि श्री सोनी वृद्ध व्यक्ति है। अक्सर बीमार रहता है। लगातार बीमारी के कारण प्रार्थी का जयपुर इलाज चला जिस कारण प्रार्थी समय पर बंदूक को थाने में जमा नहीं करा पाया। भविष्य में गलती नहीं होगी। मुझे लकवा होने के कारण मैं स्वयं तो शस्त्र नहीं चला सकता लेकिन मेरे पुत्र शस्त्र चलाने में सक्षम हैं जिससे वे मेरे घर की रक्षा कर सकते हैं। अंत में अंत में श्री सोनी को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। श्री सोनी द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है। अंत में श्री सोनी को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही फरमाये जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने श्री सोनी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा के साथ अपनी अनापत्ति रिपोर्ट क्रमांक ल–1/( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/10598 दिनांक 24.09.2019 से प्रेषित की है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत् आदेश जारी किया गया था। श्री सोनी द्वारा शस्त्र जमा नहीं करवाने की पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 13.07.2018 को श्री सोनी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री सोनी द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था। श्री सोनी द्वारा बीमार होने का अभिकथन बहस में किया है लेकिन बीमारी से संबंधित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री सोनी का स्वयं यह कथन है कि वह वृद्ध व्यक्ति हैं एवं लकवा होने के कारण शस्त्र चलाने में सक्षम नहीं हैं। उनके पुत्र शस्त्र का उपयोग कर सकते हैं जो कि न्यायोचित नहीं है एवं शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन है। अतः हम श्री सोनी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री सोनी का शस्त्र अनुज्ञापत्र 12 बोर वी–423490 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली